आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर–चांपा एवं बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के चार विकास–खण्डों में
''कोविड–19 और पलायन हेतु रिसपॉन्स परियोजना''

Submitted to:
Climate Change, Resilience and end
United Nations Development Programme (UNDP), New Delhi, India

प्रस्तुतकर्ताः

कल्प समाज सेवी संस्था
शुकुल पारा खरौद, जिला- जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

विषय–सूची

1. विषय सूची....02
1.1 सूचियों की सारिणी....03
1.2 ऑकडे एवं ऑकलन की सूची....04
1.3 कार्यकारी सारांश....05

2. अध्याय–1 परिचय....08
2.1 आधारभूत सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि....08
2.2 आधारभूत सर्वेक्षण के उद्‌देश्य....08
2.3 आधारभूत सर्वेक्षण की संरचना....09
2.3.1 सर्वेक्षण का भौगोलिक क्षेत्र....09
2.3.2 आधारभूत सर्वेक्षण हेतु कार्यप्रणाली....10
2.3.3 सर्वेक्षण हेतु ग्राम पंचायत एवं परिवारों की चयन प्रक्रिया....10

3. आधारभूत सर्वेक्षण का क्रियान्वयन....11
3.1 सर्वेक्षण कर्ताओं का प्रशिक्षण....11
3.2 जानकारियों का संकलन एवं ऑँकलन....11
3.3 गुणवत्ता एवं नियन्त्रण....11

4. अध्याय–2 प्रवासी मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के समुदायों का सामाजिक–आर्थिक एवं भौगोलिक विवरण....12

5. अध्याय–3 ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण तथ्य एवं ऑकडे....17
5.1 आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा....18–19

6. अध्याय–4 कोविड–19 जानकारी, बचाव एवं निगरानी....20

7. अध्याय–5 निष्कर्ष एवं सुझाव....22

<u>सारिणीयों का विवरण</u>

सारणी 1 : प्रमुख परिस्थितियों का विवरण – पारिवारिक सर्वेक्षण अनुसार

सारणी 2 : प्रमुख परिस्थितियों का विवरण – ग्राम पंचायत सर्वेक्षण अनुसार

सारणी 3 : परियोजना क्षेत्र की सामान्य जानकारियाँ

सारणी 4 : आधारभूत सर्वेक्षण अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों एवं परिवारों की संख्या

सारणी 5 : लिंग अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सारणी 6 : आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सारणी 7 : परिवारों की आजीविका संबंधित विवरण

सारणी 8 : परिवारों की कृषि भूमि का विवरण

सारणी 9 : ग्राम पंचायत में पलायन की स्थिति

चार्ट का विवरण

चार्ट 1 : उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति

चार्ट 2 : उत्तरदाताओं के शिक्षा का स्तर

चार्ट 3 : निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण

चार्ट 4 : भूमि स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण

चार्ट 5 : फसलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण

चार्ट 6 : फसल समय के आधार पर जानकारी

चार्ट 7 : आजीविका के स्त्रोत एवं संबंधित शासकीय योजनाएं

चार्ट 8 : ग्राम पंचायत में प्राकृतिक आपदाएं

चार्ट 9 : शासकीय योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ

चार्ट 10: शासकीय योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ की स्थिति

चार्ट 11: शासकीय योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ की स्थिति

चार्ट 12: कोविड 19 के बचाव संबंधित जानकारी का स्तर

चार्ट 13: आरोग्य सेतु एप की जानकारी एवं उपयोग

चार्ट 14: कोविड 19 संबंधित जागरूकता कार्यक्रम

चार्ट 15: कोविड 19 संबंधित निगरानी

कार्यकारी सारांश

कल्प समाज सेवी संस्था एक स्वयंसेवी संस्था है। कल्प का पंजीयन 'मध्यप्रदेश सोसायटी राजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत 04 मार्च 1997 को हुआ। विगत वर्षों से संस्था ने वंचित एवं बहिष्कृत समुदाय को केन्द्रित करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला व युवा सशक्तिकरण एवं आजीविका को सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया है। कल्प समाज सेवी संस्था, समाज के गरीब, वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हेतु लगातार कार्य करता रहा है। कल्प यह विश्वास करता है कि विकास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है, समाज के प्रत्येक स्तर पर कार्य करते हुए हमारा लक्ष्य रहा है कि ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और परिवर्तन की इच्छाशक्ति को विकसीत किया जाये, क्योंकि ये वास्तविक और स्थायी सुधार हेतु महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं।

कल्प समाज सेवी संस्था द्वारा ''कोविड-19 और पलायन रिसपॉन्स परियोजना'' छत्तीसगढ के 02 जिलों जांजगीर चांपा एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में यूनाईटेड नेशन्स विकास कार्यक्रम- यूएनडीपी के सहयोग व समन्वय से प्रारंभ किया गया है। वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों में परियोजना अंतर्गत चयनित 100 ग्रामों में गरीब, वंचित, मजदूर वर्ग, एकल महिला, दिव्यॉग व अन्य जरूरतमंद परिवारों को आजीविका सुनिश्ति करने और कोविड-19 से बचााव हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है।

कल्प और यूएनडीपी द्वारा समन्वय के आधार पर परियोजना क्षेत्र एवं लक्षित समुदाय के वर्तमान परिस्थितियों के ऑकलन करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण प्रक्रिया किया गया। इस सर्वेक्षण में दो अलग अलग स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों को जानने व जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया। जिसके लिए परिवार सर्वेक्षण प्रश्नावली और ग्राम पंचायत प्रश्नावली के माध्यम से जानकारियॉं एकत्र की गई हैं।

आधारभूत सर्वेक्षण प्रक्रिया के विश्लेषण से प्राप्त जानकारियों एवं निष्कर्षों को इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आधारभूत सर्वेक्षण प्रक्रिया परियोजना हेतु एक आवश्यक गतिविधि के तौर पर परियोजना में शामिल की गई है। इस रिपोर्ट एवं निष्कर्षों के आधार पर परियोजना के लक्ष्य को समझने एवं परियोजना के पश्चात् परिणामों का ऑकलन किया जा सकेगा।

आधारभूत सर्वेक्षण के निष्कर्ष– सारांश

आधारभूत सर्वेक्षण की प्रक्रिया से परिवार की परिस्थिति एवं ग्राम पंचायत की परिस्थितियों का ऑकलन करने का प्रयास किया गया है। ऑकलन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों का सारांश निम्न है:-

सारिणी 1ः प्रमुख परिस्थितियों का विवरण – पारिवारिक सर्वेक्षण		
क.	विवरण	%
उत्तरदाता / परिवारों की सामान्य जानकारी		
1	पुरूष उत्तरदाता	82.50%
2	महिला उत्त्रदाता	17.50%
3	विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उत्तरदाता	13.33%
4	निरक्षर और साक्षर उत्तरदाता	74.16%
5	महिला प्रमुख परिवार	13.33%
6	परिवार में औसत सदस्य संख्या	4.85
7	राशनकार्ड धारी परिवार	87%
8	कच्चे आवास वाले परिवार	70.83%

समुदाय के आजीविका के स्त्रोत		
9	प्राथमिक आजीविका स्त्रोतः व्यवसाय और वेतनमान	0.55%
10	प्राथमिक आजीविका स्त्रोतः कृषि	37.22%
11	प्राथमिक आजीविका स्त्रोतः कृषि और गैर कृषि आधारित मजदूरी	55.55%
12	द्वितीयक आजीविका स्त्रोतः व्यवसाय और वेतनमान	0.83%
13	द्वितीयक आजीविका स्त्रोतः कृषि	0.00%
14	द्वितीयक आजीविका स्त्रोतः कृषि और गैर कृषि आधारित मजदूरी	80%
पलायन		
15	परिवार जिनके सदस्य पलायन करते हैं	58.88%
16	परिवार अंतर्गत पलायन करने वाले सदस्यों का औसत	2
17	परिवार जिनमें बच्चें भी पलायन में साथ जाते हैं	34.16%
18	परिवार जिनके सदस्य लॉकडॉउन के पहले वापस आ गए	8.17%
19	परिवार जिनके सदस्य लॉकडॉउन के बाद वापस आए	88.46%
20	परिवार जिनके सदस्य अभी भी वापस नहीं आए हैं	3.36%
21	परिवार जिनको वापसी के बाद ठेकेदार से पैसे मिले	22.59%
22	ठेकेदार से प्राप्त रकम का औसत	Rs. 6,734
23	औसत पलायन का समय – माह में	6.5
परिवार में आजीविका के उपलब्ध स्त्रोत		
24	परिवार जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि है	56.38%
25	औसत भूमि – एकड़ में	1.21
26	भूमिहीन परिवार	43.62%
आय एवं व्यय		
27	परिवारों की औसत मासिक आय	Rs. 4,606.66
28	परिवारों की स्वास्थ्य पर औसत मासिक व्यय	Rs. 1,041.66
29	परिवारों की शिक्षा पर औसत मासिक व्यय	Rs. 390.83
30	परिवार जिन्होनें अलग–अलग स्त्रोत से कर्ज लिया है	30.55%
31	परिवारों द्वारा लिए कर्ज का औसत	Rs. 25,262.81
सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाएं एवं लाभ		
32	परिवार जिनको मनरेगा में काम मिला	55.27%
33	मनरेगा अंतर्गत कार्य के औसत दिवस	4.5
34	परिवार जिनकी मनरेगा द्वारा कोई परिसम्पत्ति बनी	21.11%
35	परिवार जिनको पीडीएस द्वारा राशन मिला	88.00%
36	परिवार जिनको शासन द्वारा वित्तिय सहायता प्राप्त हुई	32.50%
37	परिवार जिनको रेडी टू ईट प्राप्त हुआ	88.00%
38	परिवार जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला	22.22%
कोविड–19 प्रभाव एवं बचाव		
39	परिवार जो सोचते हैं कि कोविड–19 के बाद गांव की सामाजिक जीवन बदल जाएगा	100%
40	परिवार जिनके सदस्य कोविड–19 संक्रमित पाए गए	0.27%
41	परिवार जिनके सदस्य क्वॉरन्टाईन सेंटर में रहे	46.38%

42	परिवार जो कोविड–19 से बचाव के उपाय जानते हैं	66.94%
43	परिवार जो आरोग्य सेतु एप के बारे में जानते हैं	30.00%
44	परिवार जो आरोग्य सेतु एप उपयोग करते हैं	11.66%

सारणी 2ः प्रमुख परिस्थितियों का विवरण – ग्राम पंचायत सर्वेक्षण		
क.	**विवरण**	**%**
ग्राम पंचायत की सामान्य जानकारी		
1	ग्राम पंचायत जिनकी सीमा अन्य राज्य से जुड़ती है	0.00%
2	पिछ्ले 5 वर्षो में प्राकृतिक आपदा	0.00%
3	ग्राम पंचायत जहॉ कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति पाए गए	4.16%
4	ग्राम पंचायत में लघु वनोपज का संग्रहण	4.16%
5	ग्राम पंचायत में बैंक सुविधा	0.00%
6	ग्राम पंचायत में डाकघर	8.32%
7	ग्राम पंचायत में ए टी एम सुविधा	4.16%
ग्राम पंचायत में पलायन की स्थिति		
8	ग्राम पंचायत की संख्या, जहॉ पलायन होता है	100.00%
9	ग्राम पंचायतों में पलायन के विवरण हेतु रजिस्टर की उपलब्धता	100.00%
10	ग्राम पंचायत जहा लॉकडाउन से पूर्व प्रवासी मजदूर वापस आए	8.32%
11	ग्राम पंचायत जहा लॉकडाउन से पश्चात् प्रवासी मजदूर वापस आए	100.00%
12	ग्राम पंचायत जहॉ वर्तमान में भी प्रवासी मजदूरों का वापस आना बाकी है	100.00%
कोविड–19 प्रभाव		
13	ग्राम पंचयत जहॉ लॉकडाउन के कारण फसल की कटाई प्रभावित हुई	8.32%
14	ग्राम पंचायत जहॉ क्वारंटाईन सेंटर स्थापित हैं	100.00%

2. अध्याय एकः परिचय

2.1 पृष्ठभूमि

चीन के वुहान में कोविड-19 का पहला संक्रमण मिला, जो एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हुए आज सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित हो चुका है और जिसका उपचार अभी भी ढूंढा जा रहा है। कोविड-19 महामारी की गंभीरता और संक्रमण को रोकने के लिए विश्व के सभी देशों द्वारा अपने-अपने उपायों को किया जाने लगा, मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सर्वप्रथम उपाय सामाजिक दूरी का पालन और लॉकडॉउन को अमल में लाया गया। जबकि इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को बहुत नुकसान पहुचनें का खतरा था।

भारत में कोविड-19 का पहला संक्रमण 30 जनवरी, 2020 को पाया गया और फिर इससे आगे संक्रमण प्रसारित होता गया। सम्पूर्ण देश में पहला लॉकडॉउन 24 मार्च, 2020 को लागू किया गया, जो कि 21 दिनों के लिए प्रभावी रहा। सभी सीमाएं बंद कर दी गई, आवागमन के सारे साधन रोक दिए गए, ईस्पॉत-कारखाने, दुकानें अन्य सभी आर्थिक गतिविधियॉ बंद कर दी गई, अत्यावश्यक सुविधाओं को छोडकर।

हजारों-लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए यह एक दु:स्वप्न जैसा था, जिससे वो अपनी आजीविका खोकर रातों-रात बेघर हो गए। इनकी तत्कालिक चुनौतियॉ भोजन, आश्रय, मजदूरी और साथ ही महामारी का डर और चिंता थी। मुख्य श्रम आयुक्त, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कुल 26,17,218 प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशो में फसें थे।

छत्तीसगढ राज्य में पलायन की परिस्थितियॉ प्रारंभ से ही रही हैं, साधारणतया मजदूर अपने कृषि कार्य सम्पन्न होने के बाद अन्य प्रदेशों में आजीविका के लिए पलायन करते रहे हैं।

इसमें भी सबसे अधिक पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या के अनुसार विगत दशक में जिला- जांजगीर चांपा, बिलासपुर और बलौदाबाजार से सबसे अधिक पलायन होता रहा है।

मुख्य श्रम आयुक्त, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर 10,85,828 छत्तीसगढ राज्य से ही हैं।

प्रवासी मजदूरों के वापस घर आने और कोविड-19 महामारी संक्रमण की समस्या के साथ ही साथ मजदूरों की आजीविका एक महत्वपूर्ण विषय बनकर सामने आई। इसी विषय पर मजदूरों, ग्राम पंचायतों एवं शासन को सहयोग करने के दृष्टिकोण से यह रिस्पॉन्स फॉर कोविड-19 एवं पलायन परियोजना प्रारंभ हुई।

परियोजना अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों के ऑकलन एवं विश्लेषण हेतु परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

2.2 आधारभूत सर्वेक्षण के उद्देश्यः

- ''रिस्पॉन्स फॉर कोविड-१९ एवं पलायन परियोजना'' हेतु वर्तमान पारिवारिक एवं ग्रामीण परिस्थियों की जानकारी एवं डाटा का संग्रहण।
- परियोजना के लक्ष्यों को निर्धारण करने हेतु वर्तमान परिस्थितियों की जानकारीयों का संकलन करना।

2.3 आधारभूत सर्वेक्षण संरचना

2.3.1 भौगोलिक क्षेत्र का विवरण

रिस्पॉन्स फॉर कोविड-19 एवं पलायन परियोजना का क्रियान्वयन जांजगीर चांपा जिले के **03** ब्लॉक- बम्हनीडीह, जैजैपुर, डभरा और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के **01** ब्लॉक- कसडोल में किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले का मुख्यालय जांजगीर राज्य मुख्यालय रायपुर से **180** किलो मीटर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले का मुख्यालय बलौदाबाजार **80** किलो मीटर दूरी पर स्थित है। जांजगीर जिला मुख्यालय से परियोजना क्षेत्र क्रमश: **25**, **35**, **90** और बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से परियोजना क्षेत्र **30** किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

जांजगीर चांपा जिले का भौगोलिक क्षेत्र **4467.74** वर्ग किलोमीटर के विस्तार में है, जिसमें **149.89** वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वनक्षेत्र है। इसी प्रकार से बलौदाबाजार भाटापारा जिले का भौगोलिक क्षेत्र **4748** वर्ग किलोमीटर के विस्तार में है, , जिसमें **1154.5** वर्ग किलोमीटर का वनक्षेत्र स्थित है। जांजगीर चांपा जिले में **09** ब्लॉक हैं, वहीं बलौदाबाजार वर्ष **2012** में नवीन स्थापित जिला है इसमें ०७ ब्लॉक हैं। दोनों जिलों की सीमांए एक-दूसरे से मिलती हैं।

सारिणी 3 – परियोजना क्षेत्र की सामान्य जानकारियाँ

क्रमांक	सूचकांक	जांजगीर चांपा	बलौदाबाजार भाटापारा
1	कुल क्षेत्रफल	4466.74 sq km	4748.44 sq km
1.1	कुल वन क्षेत्र	149.89 sq km	1154.5 sq km
1.2	कृषि भूमि	2693.43 sq km	2837.43 sq km
1.4	सिंचित क्षेत्र	2021.82 sq km	1098.75 sq km
1.5	बंजर भूमि	2349 hect	5674 hect
2	जिला मुख्यालय	जांजगीर	बलौदाबाजार
2.1	ब्लॉक	9	6
2.2	तहसील	10	6
2.3	ग्राम पंचायत	631	644
3	कुल जनसंख्या	1619707	1305343
3.1	पुरूष	815717	651447
3.2	महिला	803990	653869
3.3	अनुसूचित जाति जनसंख्या	397962	305018
3.4	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	187238	167450
4	लिंगानुपात	986	1004
5	शिक्षा दर	73.07%	70.63%
5.1	पुरूष	84.72%	82.79%
5.2	महिला	61.31%	58.57%
6	मातृ मृत्यु दर	277	234
7	शिशु मृत्यु दर	51/1000	45/1000

स्त्रोतः जनगणना 2011

परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है। ७० प्रतिशत ग्रामीण परिवार की आजीविका कृषि पर आधारित है। जांजगीर चांपा जिले में लगभग **17** प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है, वहीं बलौदाबाजार जिले

में केवल 8 प्रतिशत भूमि सिंचित है। आजीविका के अन्य स्त्रोत प्रमुखत: मजदूरी, पशुपालन और कसडोल ब्लॉक में वनोपज के माध्यम से कुछ स्तर पर आजीविका परिवारों की सुदृढ हो पाती है।

परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों की आजीविका में पलायन भी एक आजीविका का स्त्रोत का स्वरूप है।

आधारभूत सर्वेक्षण का विवरण:

- राज्य : छत्तीसगढ
- जिला : 02 जिले - जांजगीर चांपा एवं बलौदाबाजार भाटापारा
- ब्लॉक : 04
- ग्राम पंचायत : 24
- ग्राम : 24

सारिणी 4 – आधारभूत सर्वेक्षण अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों एवं परिवारों की संख्या

राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	परिवार सर्वेक्षण	ग्राम पंचायत सर्वेक्षण
छत्तीसगढ़	जांजगीर चांपा	बम्हनीडीह	6	90	6
		जैजैपुर	6	90	6
		डभरा	6	90	6
	बलौदाबाजार भाटापारा	कसडोल	6	90	6
कुल	02 जिले	04 ब्लॉक	24	360	24

2.3.2 आधारभूत सर्वेक्षण हेतु कार्यप्रणाली

लक्षित समुदाय एवं क्षेत्र की पूर्ण जानकारियों के संकलन हेतु प्रमुख रूप से मात्रात्मक प्रश्नवली सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया गया। पारिवारिक एवं ग्राम पंचायत की जानकारियों हेतु मात्रात्मक प्रश्नवली सर्वेक्षण तकनीक अंतर्गत फार्म में जानकारियों का संकलन किया गया। इसके साथ ही द्वितीयक डाटा एवं जानकारियों का संकलन संबंधित वेबसाईट एवं ग्राम पंचायत से की गई है।

मात्रात्मक सर्वेक्षण प्रश्नावली

इस तकनीक में प्रमुखत: एक निश्चित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारियॉ एकत्रित की गई। उत्तरदाता से अनुमति लेकर सहजता से साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। परियोजना के लक्षित समुदाय के आधार पर ही परिवारों का चयन किया गया।

2.3.3 सर्वेक्षण हेतु परिवारों की चयन प्रकिया

रिस्पॉन्स फॉर कोविड-19 एवं पलायन परियोजना अंतर्गत चयनित जांजगीर चांपा एवं बलौदाबाजार जिले के 100 ग्राम पंचायतों में से सर्वप्रथम 24 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया। सभी 04 ब्लॉक में से 06 ग्राम पंचायतों को आधारभूत सर्वेक्षण हेतु चयनित किया गया।

चयन प्रक्रिया के चरण

- कल्प एवं यूएनडीपी-आईसीआरजी के मध्य समन्वय से सर्वप्रथम यह निर्धारित किया गया कि 24 ग्राम पंचायतों में आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा।

- ग्राम पंचायतों का चयन भी परियोजना के लक्ष्य के आधार पर किया गया, ऐसे ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया जहॉं पलायन करने वाले परिवारों की संख्या अधिक है।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15 परिवारों से साक्षात्कार के माध्यम से जानकारियों का संकलन किया गया। इन परिवारों को एक क्रम अनुसार चुनाव ना करते हुए अलग-अलग परिवारों को अलग-अगल मुहल्ले एवं दूरी के अनुसार चयनित किया गया।

- परिवारों के साक्षात्कार हेतु ग्राम पंचायत में लक्षित समुदाय- पलायन वाले परिवार, गरीब, महिला प्रधान, दिव्यॉंग, एकल महिला आदि को भी शामिल करने का प्रयास किया गया।

3. आधारभूत सर्वेक्षण का कियान्वयन

3.1 सर्वेक्षण कर्ताओं का प्रशिक्षण

रिस्पॉन्स फॉर कोविड-19 एवं पलायन परियोजना, कल्प समाज सेवी संस्था अंतर्गत परियोजना समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं क्षेत्र समन्वयक की टीम परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् है। आधारभूत सर्वेक्षण के जानकारीयों के संकलन हेतु बनाए गए प्रश्नावली एवं प्रक्रिया हेतु सर्वप्रथम टीम का प्रशिक्षण समपन्न हुआ।

आधारभूत सर्वेक्षण हेतु बनाए गए साक्षात्कार प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के लिए संबंधित सभी विषयों पर सर्वेक्षणकर्ताओं की टीम को सर्वेक्षण संबंधित विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। सर्वेक्षण संबंधित प्रश्नावली के प्रश्नों एवं उत्तरदाता के संभावित उत्तर एवं शंकाओं पर टीम का पूर्व प्रशिक्षण साक्षात्कार हेतु सर्वप्रथम आवश्यक था।

3.2 सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं जानकारीयों का एकत्रिकरण

सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं जानकारियों के संबंधित प्रश्नावली में एकत्रिकरण हेतु निम्न चरण अपनाए गए:

- सर्वेक्षण संबंधित विषयों पर सर्वेक्षणकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन।
- परियोजना क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के ब्लॉक समन्वयक को सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया।
- सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षणकर्ता द्वारा किए गए साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण प्रश्नावली की जॉंच की गई।
- सर्वेक्षण प्रश्नावली के ऑकलन हेतु डाटा संकलन के दौरान पायी गई त्रुटियों को सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सुधार किया गया।
- प्रश्नावली के आकडों का संकलन एवं विश्लेषण कार्य।

3.3 सर्वेक्षण की गुणवत्ता एवं नियन्त्रण

आधारभूत सर्वेक्षण हेतु प्रत्येक स्तर एवं चरणों में सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट की गुणवत्ता हेतु प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण की संरचना से अंतिम चरण रिपोर्ट के निर्माण एवं प्रकाशन तक प्रत्येक स्तर पर सर्वेक्षण के ऑकडों एवं ऑकलन की गुणवत्ता की जॉंच की गई।

4. अध्याय दोः प्रवासी मजदूरों एवं कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति

4.1 लिंग एवं आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

लिंग: कुल उत्तरदाताओं में 82.5% पुरुष उत्तरदाता थे एवं 17.5% महिला उत्तरदाता शामिल रहे।

सारिणी 5 – लिंग अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

उत्तरदाता	प्रतिशत
महिला	17.50%
पुरूष	82.50%
कुल	**100%**

उत्तरदाताओं का उम्र अनुसार अनुपात: **30** से **45** वर्ष उम्र समूह के उत्तरदाता सबसे अधिक 45.2% शामिल रहें, इसके बाद क्रमशः **46** से **59** वर्ष उम्र समूह 28.2%, **60** वर्ष से अधिक उम्र के उत्तरदाता 20.5% और अन्य **18** से **29** वर्ष उम्र समूह 6.10% के उत्तरदाता शामिल रहे।

सारिणी 6 – आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

उत्तरदाता	प्रतिशत
18-29 वर्ष	6.10%
30-45 वर्ष	45.20%
46-59 वर्ष	28.20%
60 वर्ष एवं अधिक	20.50%
कुल	**100%**

4.1.1 वैवाहित स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

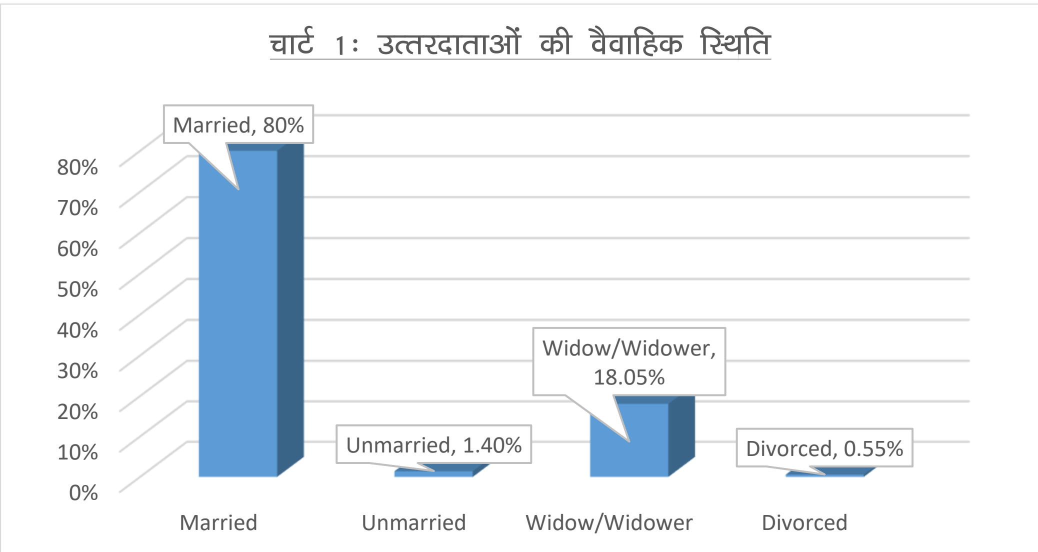

दर्शाए गए चार्ट से स्पस्ट होता है कि उत्तरदाताओं में अधिकतर उत्तरदाता 80% विवाहित है एवं बहुत ही कम 1.40% उत्तरदाता ही अविवाहित हैं। इसमें भी 18.05% उत्तरदाता विधवा/विधुर की संख्या सामान्य से अधिक प्रतीत हो रही है। इसके साथ ही 0.55% उत्तरदाता तलाकशुदा है।

4.1.2 शिक्षा स्तर के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

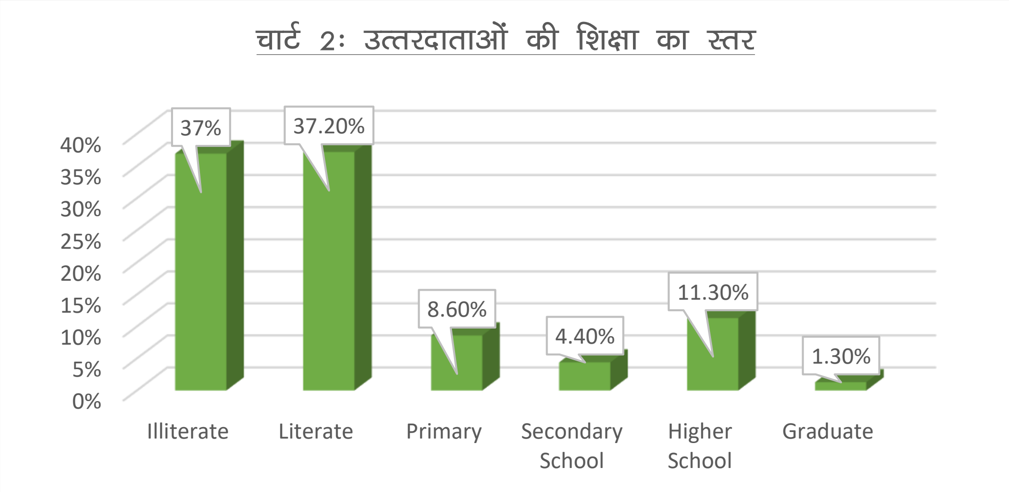

दर्शाए गया चार्ट यह स्पस्ट करता है कि उत्तरदाताओं में अधिकतर उत्तरदाता अनपढ हैं या तो साक्षर हैं, समुदाय में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। क्रमश: 37% उत्तरदाता अनपढ एवं 37.20% उत्तरदाता साक्षर है, वहीं जो उत्तरदाता शिक्षित हैं उसमें भी 8.60% प्राथमिक, 4.40% माध्यमिक, 11.30% उच्चतर एवं केवल 1.30% उत्तदाताओं ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है।

4.1.3 निवास के प्रकार के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

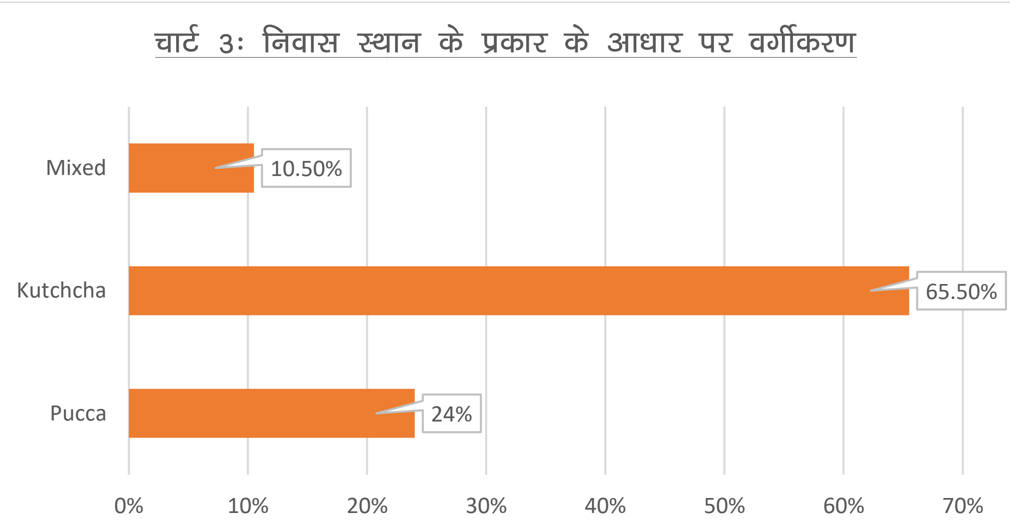

दर्शाए गए चार्ट से यह ज्ञात होता है कि समुदाय में अधिकतर परिवारों का निवास कच्चा और मिश्रित हैं, प्रतिशत के अनुसार क्रमश: 65.5% कच्चा एवं 10.50% मिश्रित निवास है, वहीं केवल 24% उत्तदाताओं का निवास पक्का है, जिसमें भी अगर हम यह देखें कि पक्का घर निर्मित का स्त्रोत, तो 24% उत्तरदाताओं में से 22.50% के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बनाए गए हैं।

4.2 आजीविका के स्त्रोत

4.2.1 आजीविका का स्त्रोत

परियोजना क्षेत्र अंर्तगत **04** ब्लॉक, **24** ग्राम पंचायतों में कुल **360** परिवारों एवं **24** ग्राम पंचायतों आधारभूत सर्वेक्षण का ऑकलन किया गया, ग्रामीण जनसंख्या एवं परिवारों की प्रमुख आजीविका स्त्रोत इन क्षेत्रों में प्रमुखत: कृषि एवं कृषि संबंधित एवं अन्य मजदूरी है। इस ऑकलन में भी जब प्राथमिक एवं द्वितीयक आजीविका के स्त्रोत का ऑकलन देखा जाये तो परिवारों की आजीविका कृषि 37.22% से अधिक 55.55% मजदूरी पर निर्भर पायी गई है।

जबकि वहीं आजीविका के अन्य स्त्रोतों में पशुपालन अंतर्गत मुर्गीपालन 47.43%, अन्य पशुपालन जैसे बकरी, गाय, सुअर व बतख से बहुत ही कम है।

सारिणी 7 – परिवारों की आजीविका संबंधित विवरण

उत्तरदाता	प्रतिशत
कृषि	37.22%
मजदूरी	78.29%
कृषि एवं मजूदरी	55.55%
बकरीपालन	1.66%
मुर्गीपालन	47.43%
डेयरी–गाय	23.88%
सुअर पालन	0%
छोटा व्यवसाय	0.2%
मिस्त्री – मकान बनाने का काम	3.05%
शासकीय या प्राइवेट नौकरी	0.55%

4.2.2 आजीविका के स्त्रोतों की उपलब्धता

सारिणी 8 – परिवारों की कृषि भूमि का विवरण

कृषि भूमि का विवरण	प्रतिशत
स्वयं की कृषि भूमि	56.38%
भूमिहीन परिवार	43.62%

सारिणी से पता चलता है कि परियोजना क्षेत्र अंतर्गत 56.38% परिवारों के पास ही स्वयं की कृषि भूमि उपलब्ध है, जबकि 43.62% परिवार भूमिहीन हैं। आजीविका के स्त्रोत में प्रमुख स्त्रोत कृषि है, जिससे कि परिवार का पालन-पोषण संभव हो पाता है।

4.2.3 कृषि भूमि - आजीविका स्त्रोत

परियोजना क्षेत्र अंतर्गत परिवारों के पास स्वयं की भूमि की उपलब्धता है तो वह भी बहुत कम है। दर्शाए गए चार्ट से यह स्पस्ट होता है कि 39% परिवारों के पास 1 एकड, 13% परिवारों के पास 1-2 एकड, 4% परिवारों के पास 2-3 एकड और केवल 1% परिवारों के पास 5 एकड या इससे अधिक की कृषि भूमि है।

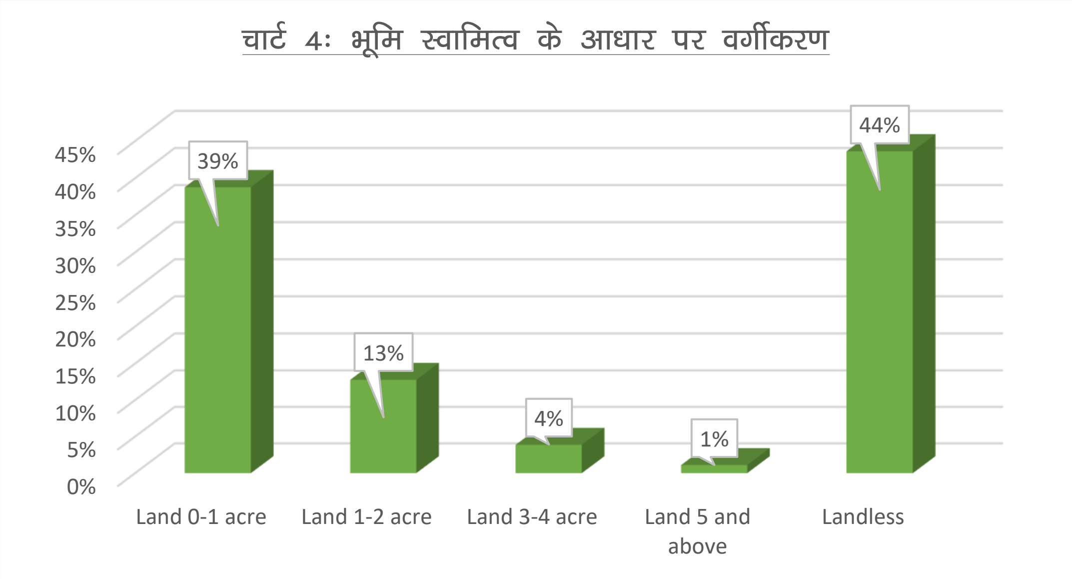

4.2.4 कृषि उपज

दर्शाए गए चार्ट से यह स्पस्ट होता है कि परियोजना क्षेत्र के सभी परिवारों के द्वारा एक ही प्रकार का फसल-धान ही उत्पादन किया जाता है। जबकि इसके साथ ही कई अलग प्रकार के फसलों की खेती की जा सकती है, जिससे परिवार की खाद्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती।

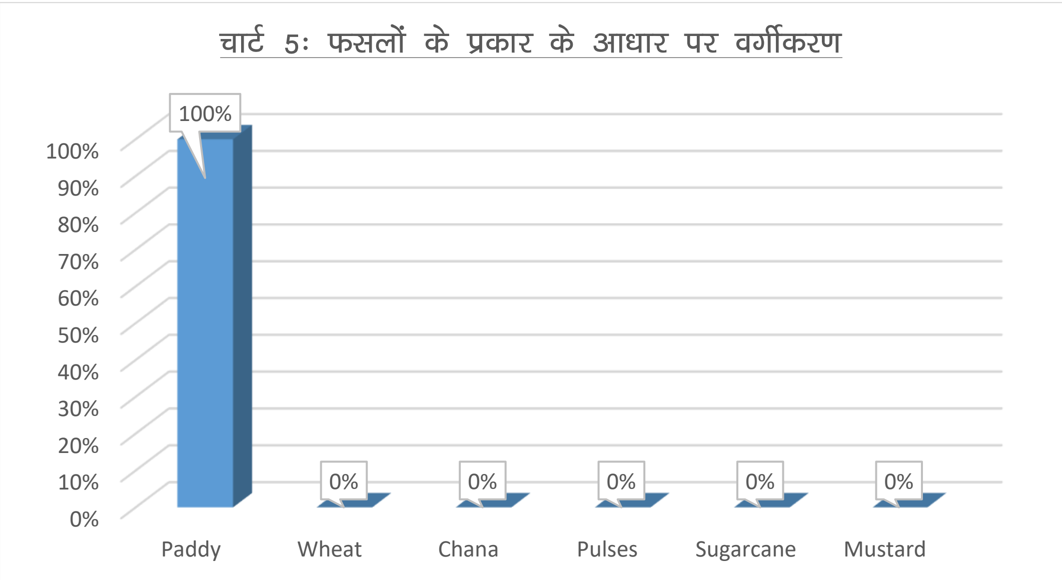

4.2.5 कृषि कार्य- फसल का स्वरूप

परियोजना क्षेत्र अंतर्गत समस्त परिवारों के द्वारा कृषि केवल खरीफ फसल की जाती है, यह चार्ट प्रदर्शित करता है कि केवल कुछ ही लोग रबी फसल भी उत्पादन करते हैं।

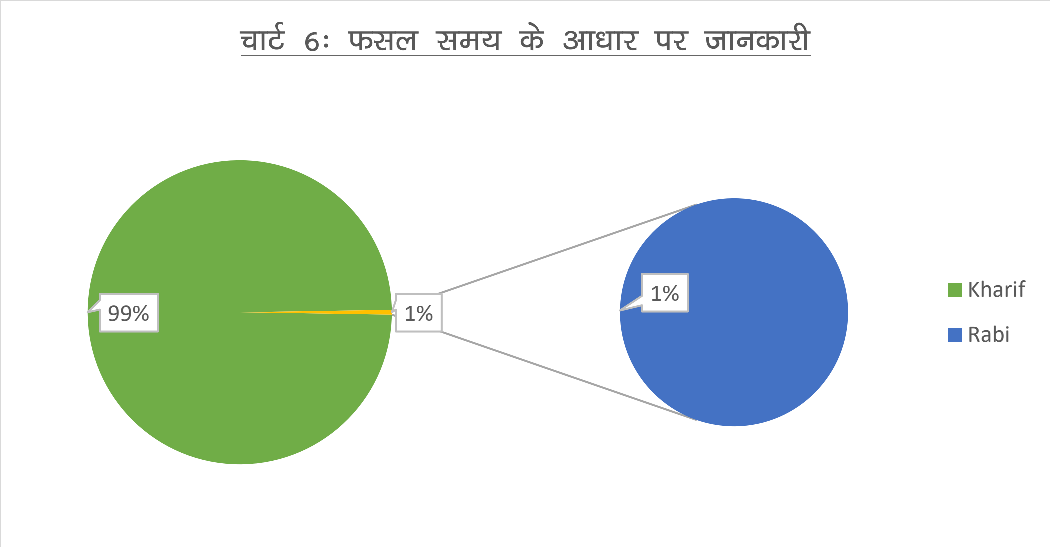

4.2.6 आजीविका के स्त्रोत संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ

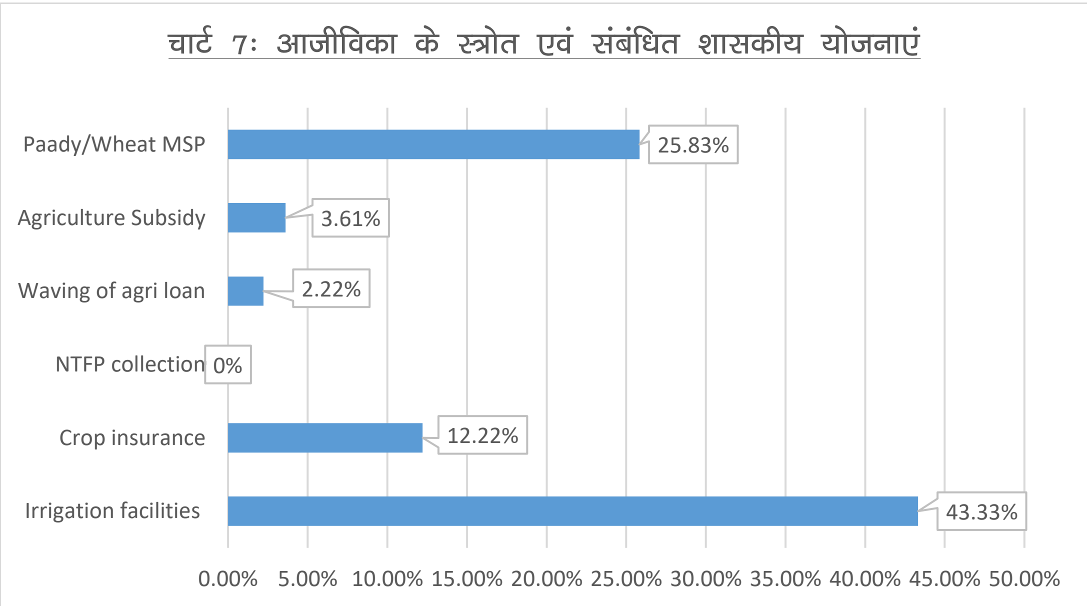

आजीविका के स्त्रोत में शासकीय सहायता प्राप्त होने पर कमजोर परिवारों को सुदृढता मिलेगी, प्रदर्शित चार्ट से यह स्पस्ट होता है कि 43% परिवारों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहीं 25-83% परिवारों को अपने उत्पादन का समर्थन मूल्य प्राप्त हुआ है, साथ ही 12.22% परिवारों ने फसल बीमा कराया है और केवल 6% परिवारों अनुदान एवं कर्ज संबंधित लाभ प्राप्त हो सका है।

5. अध्याय तीनः ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण तथ्य एवं ऑकडे

5.1 पिछले पॉच वर्षों में ग्राम पंचायत में कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति

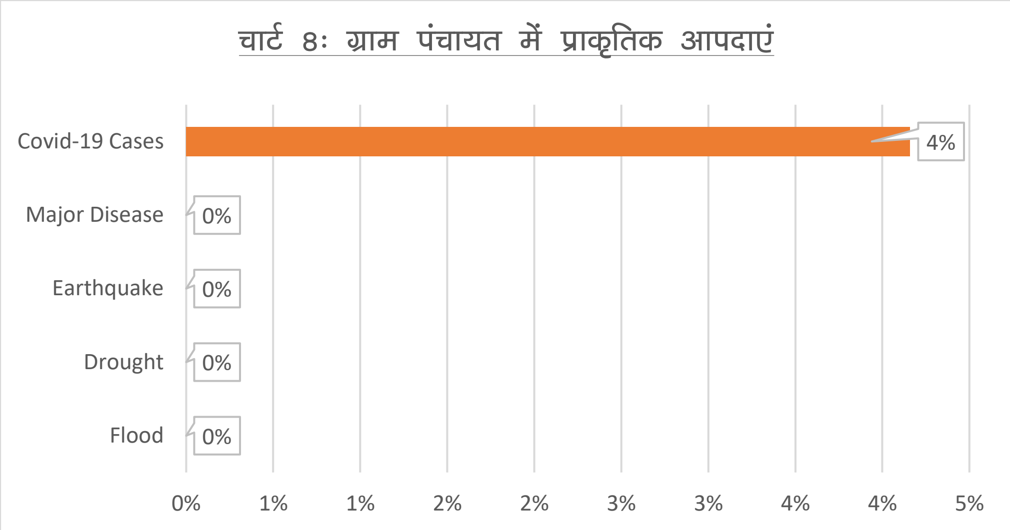

परियोजना क्षेत्र अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं हुई है। इसके साथ ही वर्तमान में कोविड-19 महामारी का भी केवल 4% ग्राम पंचायतों में संक्रमण हुआ है।

5.1.1 ग्राम पंचायत में पलायन की स्थिति

परियोजना क्षेत्र अंर्तगत सभी ग्राम पंचायतों की पलायन संबंधित जानकारी सारिणी में नीचे प्रस्तुत की गई है, इसके अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों द्वारा पलायन किया जाता है। पलायन में गए ग्रामीणों में भी लगभग 75% लोग लॉकडाउन होने के पश्चात् अपने ग्राम में वापस आए हैं एवं 25% लोग अभी भी ग्राम वापस नहीं लौटे हैं।

सारणी 9 – ग्राम पंचायत में पलायन की स्थिति

ग्राम पंचायत का नाम	पलायन पंजी की उपलब्धता	मौसम आधारित पलायन वाले परिवार	पूर्ण पलायन वाले परिवार	लॉकडाउन के पश्चात् वापस आए प्रवासी मजदूर	राज्य से बाहर
ठनगन	100%	16.07%	1.40%	96	71
साराडीह	100%	7.85%	0.60%	35	88
सपोस	100%	13.62%	0.00%	224	125
छुहीपाली	100%	15.56%	0.00%	64	84
कोटमी	100%	6.50%	2.30%	59	293
सकराली	100%	15%	0.00%	85	399
ठठारी	100%	31.12%	0.00%	179	281
केकराभाट	100%	18%	0.00%	80	105
गुचकुलिया	100%	7%	0.00%	250	40

आमगांव	100%	24.45%	0.00%	209	181
अरसिया	100%	10%	0.00%	82	258
कोटेतरा	100%	32.65%	0.00%	150	440
परसापाली	100%	22.58%	0.00%	75	100
सरवानी	100%	40%	0.00%	20	580
सेमरिया	100%	31.25%	0.00%	250	70
तालदेवरी	100%	38.46%	0.00%	200	300
कचन्दा	100%	12%	0.00%	36	74
खम्हिया	100%	25%	0.00%	100	99
सिनोधा	100%	38.50%	0.00%	398	25
मोहतरा	100%	46%	1.70%	100	323
खर्री	100%	37.50%	5.30%	210	7
बिलारी	100%	51%	0.00%	230	120
चरौदा	100%	52%	0.00%	348	13
देवरीकला	100%	36%	0.00%	282	108

5.1.2 शासकीय योजनाओं से ग्रामीणों को लाभ

चार्ट 9: शासकीय योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ

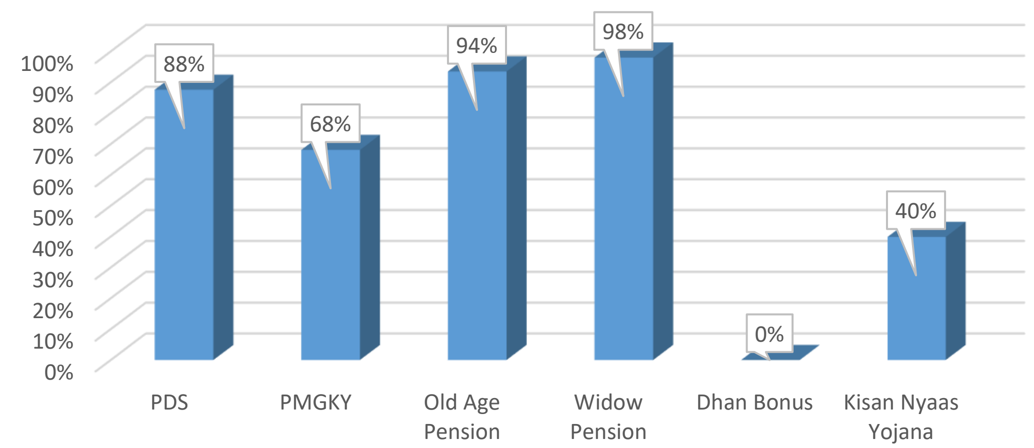

दर्शाए गए चार्ट से स्पस्ट होता है कि 88% परिवारों नागरिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्राप्त हुआ है, वहीं 94% पेंशन के लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हुआ है, 98% पेंशन के लाभार्थियों को विधवा पेंशन प्राप्त हुआ है, साथ ही किसान योजनाओं में क्रमश: 68% परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब किसान योजना एवं 40% परिवारों को किसान न्यास योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सका है। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि धान बोनस किसी भी किसान को प्राप्त नहीं हो पाया।

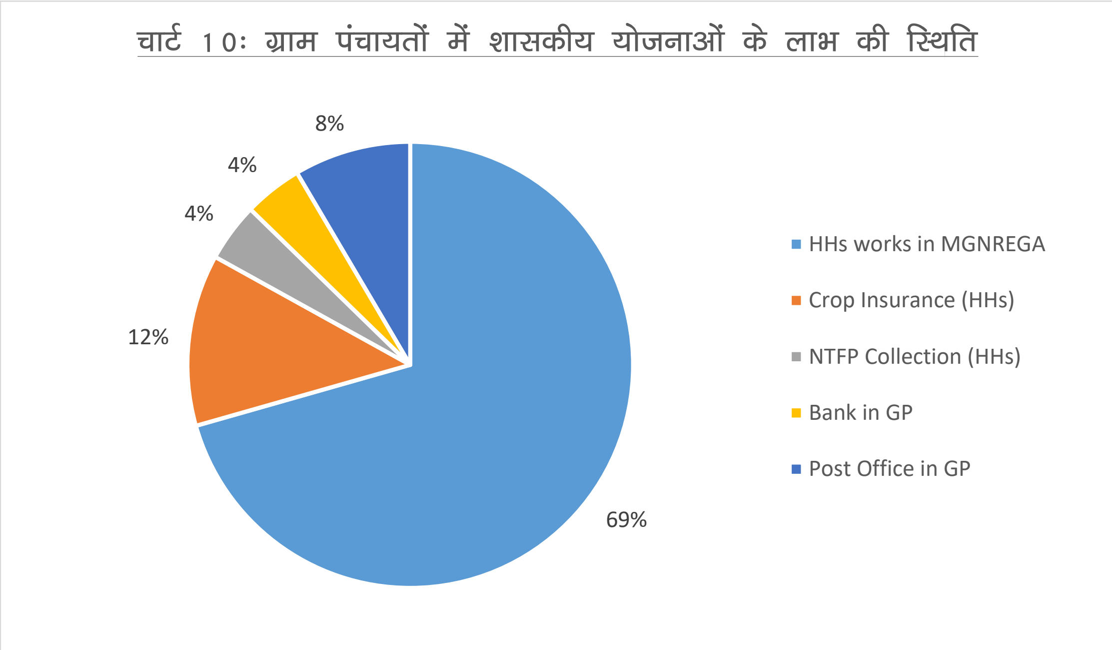

शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित दर्शाए गए चार्ट से स्पष्ट होता है कि 69% परिवारों मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है, 12% किसानों ने फसल बीमा कराया है, 4% परिवारों द्वारा वनोपज का संग्रहण किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में सेवा प्रदाताओं में क्रमश: 8% ग्राम पंचायतों में पोस्ट आफिस की सेवाएं मिली हैं और 4% ग्राम पंचायतों में बैंक संबंधित सेवाएं प्राप्त हो पाई हैं।

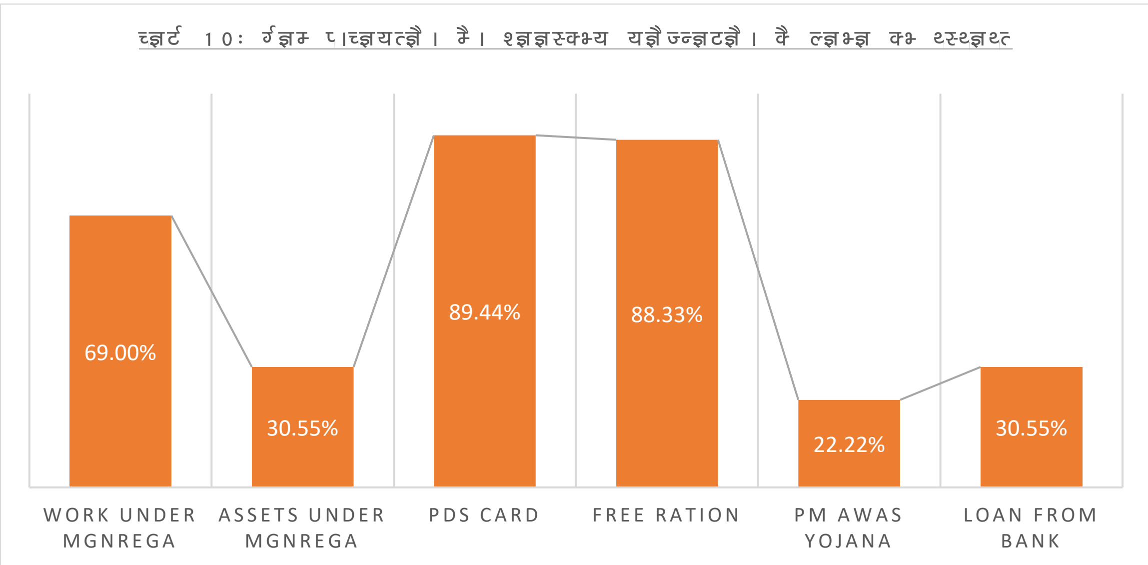

शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित दर्शाए गए चार्ट से स्पष्ट होता है कि 69% परिवारों मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है और 30.55% परिवारों की परिसम्पतियों का निर्माण हो पाया है, वहीं 89.44% राशनकार्ड धारी परिवारों में से 88.33% परिवारों को मुफत में राशन प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य योजना प्रधानमंत्री आवास एवं बैंक से कर्ज में क्रमश: 22-22% और 30.55% परिवारों को लाभ मिल पाया है।

6. अध्याय चारः कोविड–19 जानकारी, बचाव एवं निगरानी

6.1 परिवारों में कोविड-19 बचाव संबंधित जानकारी का स्तर

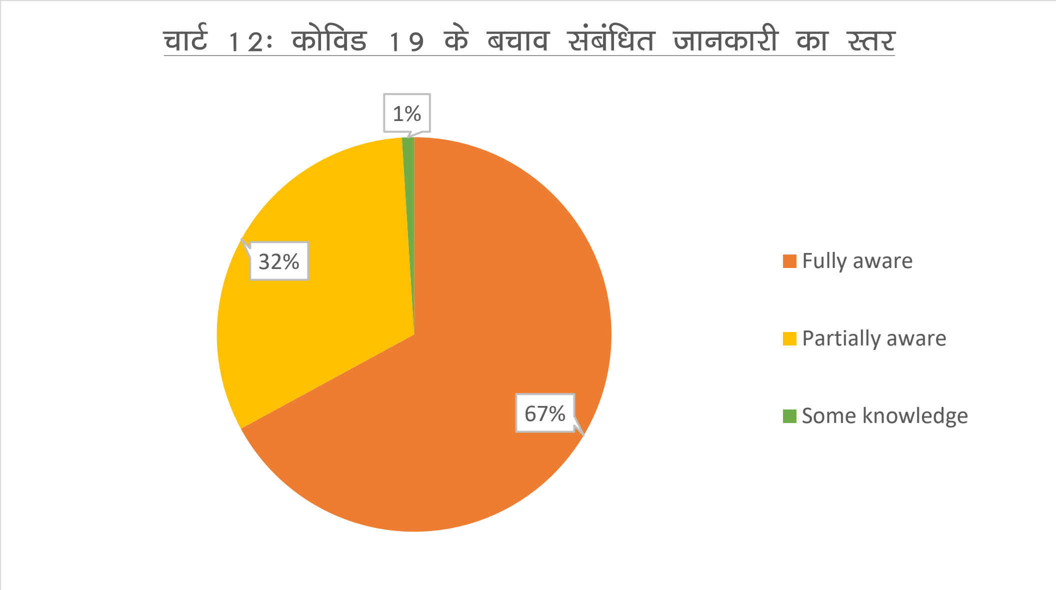

कोविड-19 से बचाव संबंधित जानकारी के विषय में दर्शाए गए चार्ट से स्पस्ट होता है कि 67% परिवारों कोविड-19 से बचाव संबंधित पूर्ण जानकारी है, वहीं 32% परिवारों थोडी जानकारी और 1% परिवारों को बहुत अल्प जानकारी है।

6.1.1 आरोग्य सेतु एप की जानकारी एवं उपयोग संबंधित विवरण

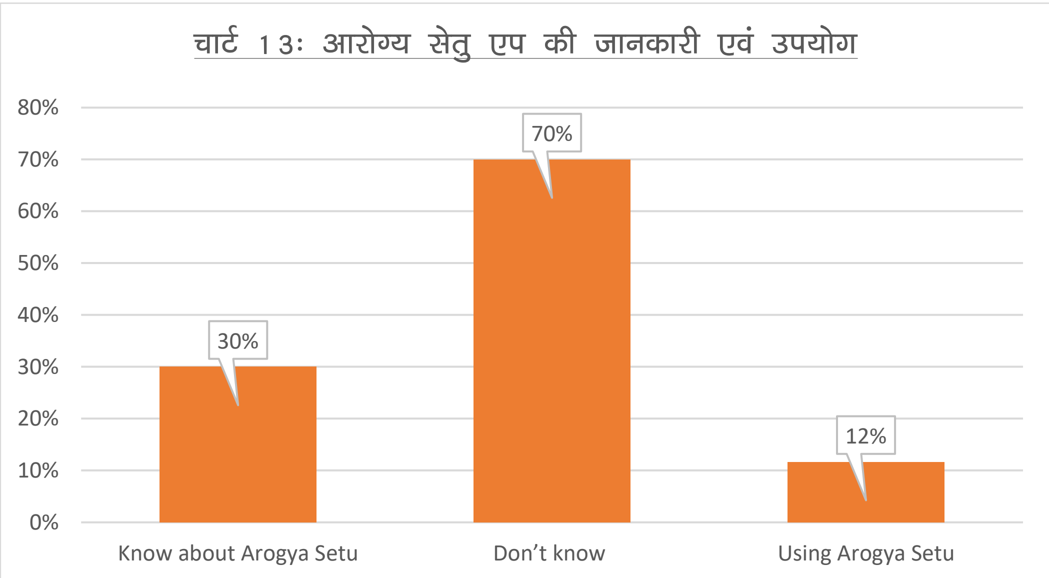

कोविड-19 से बचाव संबंधित जानकारी के विषय में दर्शाए गए चार्ट से स्पस्ट होता है कि 70% परिवारों को आरोग्य सेतु एप से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं 30% परिवारों को आरोग्य सेतु एप की जानकारी है, जिसमें से भी केवल 12% परिवारों द्वारा आरोग्य सेतु एप उपयोग किया जा रहा है।

6.1.2 कोविड-१९ जागरूकता एवं बचाव कार्यक्रम एवं प्रतिभागिता

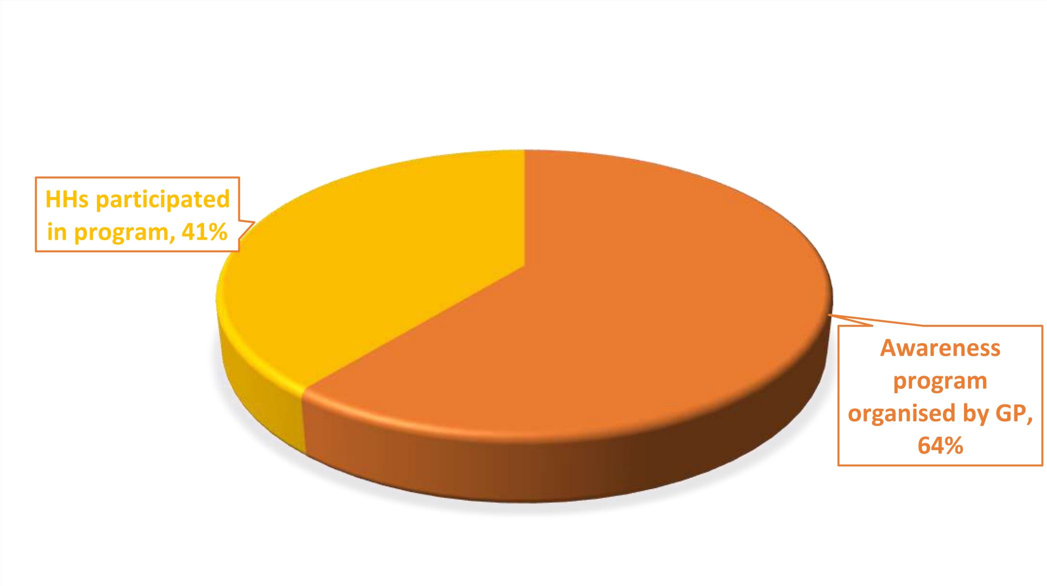

कोविड-**19** से बचाव संबंधित जानकारी के विषय में दर्शाए गए चार्ट से स्पस्ट होता है कि 64% ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, जबकि जागरूकता कार्यक्रमों में 41% परिवारों द्वारा ही प्रतिभागिता की गई है।

6.1.3 ग्राम पंचायत में कोविड-१९ संबंधित निगरानी के कार्यों का विवरण

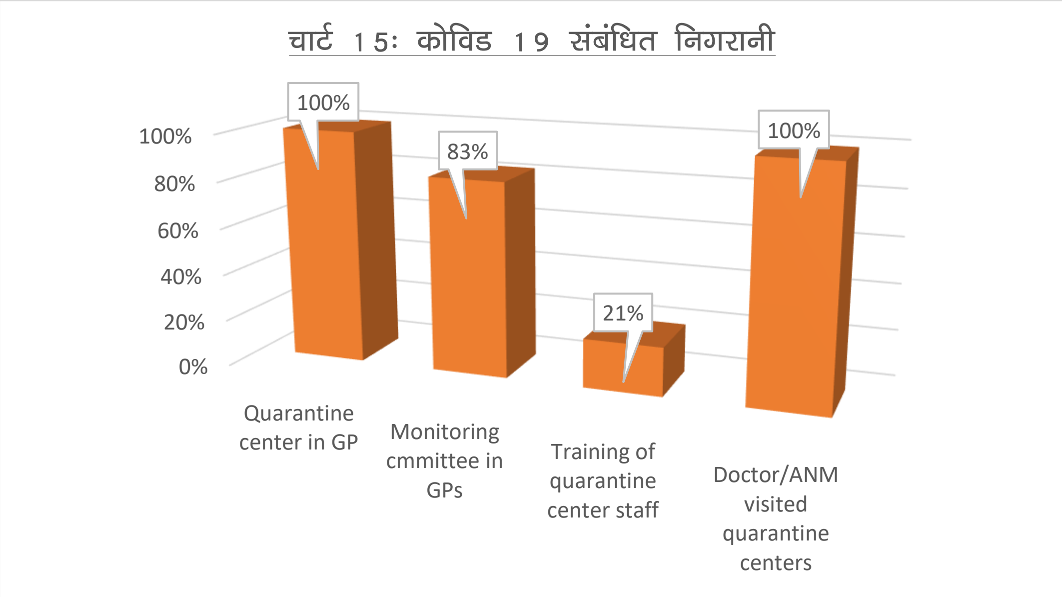

परियोजना क्षेत्र अंर्तगत **24** ग्राम पंचायतों कोविड-**19** से बचाव संबंधित जानकारी के विषय में दर्शाए गए चार्ट से स्पस्ट होता है कि समस्त ग्राम पंचायतों में क्वारंटाईन सेंटरों की स्थापना की गई है और साथ ही सभी क्वारंटाईन सेंटरों में डॉक्टर/नर्स द्वारा विजिट किया जाता है।

इसके साथ ही 83% ग्राम पंचायतों में निगरानी समिति की स्थापना भी की गई है और 21% क्वारंटाईन सेंटर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

7. अध्याय पांचः निष्कर्ष एवं सुझाव

आधारभूत सर्वेक्षण के निष्कर्षों को तीन प्रमुख स्तर पर देखने का प्रयास किया गया है। प्रथम लक्षित समुदाय/परिवारों की आजीविका संबंधित विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष, जिनमें आजीविका के प्रमुख स्त्रोत एवं पलायन व आय की समुदाय/परिवारों की आजीविका में महत्व, दूसरे स्तर पर लक्षित परिवारों/समुदाय हेतु ग्राम पंचायत/शासन की योजनाएं जिनसे समुदाय के आजीविका का स्तर सुदृढ होता है साथ ही ग्राम पंचायत अपने स्तर पर विषम परिस्थितियों जैसे- महामारी या आपदा में सक्षमता से ग्रामीणों को कैसे सहायता कर सकते हैं और तीसरा कोविड-**19** महामारी के कारण उत्पन्न समस्या और समाधान हेतु किए गए प्रयासों को और बेहतर करने पर विश्लेषण एवं सुझाव।

<u>लक्षित समुदाय/परिवारों की आजीविका संबंधित विश्लेषण:</u>

- लक्षित समुदाय/परिवारों की आजीविका में कृषि एवं मजदूरी सबसे प्रमुख स्त्रोत हैं, इसमें भी केवल मजदूरी के आय से अपना जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या अधिक है। वहीं कृषि को आजीविका के रूप में देखा जाए तो लक्षित समुदाय/परिवारों के पास पर्याप्त कृषि भूमि एवं संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। लक्षित समुदाय/परिवार सीमांत एवं छोटे कृषक हैं, जिनके पास ५ एकड से भी कम कृषि भूमि है। औसत के आधार पर कृषि भूमि को देखा जाए तो मात्र **1.21** एकड कृषि भूमि पर समुदाय का स्वामित्व है।

- लक्षित परियोजना क्षेत्र में कृषि वर्षा आधारित कृषि है, जिसके कारण खरीफ फसल ही समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ समुदाय की कृषि पद्धति में एक ही प्रकार की फसल- धान, उत्पादन करने का तरीका अपनाया जाता है।

- लक्षित परियोजना क्षेत्र में समुदाय के पास कृषि संबंधित मजदूरी एवं भवन निर्माण संबंधित मजदूरी के अतिरिक्त मजदूरी के अन्य विकल्प बहुत ही कम तौर पर उपलब्ध हैं। लक्षित समुदाय/परिवारों के पास अन्य प्रकार के कौशल से संबंधित कार्यों हेतु कौशल या प्रशिक्षण नहीं है।

- आजीविका के स्त्रोत के रूप पशुपालन को भी बहुत ही कम परिवारों द्वारा अपनाया गया है। पशुधन की संख्या भी लक्षित परिवारों/समुदाय में बहुत कम है।

- आजीविका से संबंधित शासकीय योजनाएं जैसे- महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि से आवश्यकता के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, मनरेगा से जिले में परिवार को इस वर्ष में औसत २७ दिन का रोजगार उपलब्ध हो पाया है।

- पलायन कर अन्य स्थानों शहरों में काम करना लक्षित समुदाय/परिवारों हेतु आजीविका का साधन के तौर पर प्रमुख स्थान रखता है।

- इसके साथ ही साथ समुदाय में उच्च शिक्षा में कमी के कारण युवकों/युवतियों के कौशल उन्नयन के कार्यक्रम से जुडने का अवसर भी नहीं बन पा रहा है और वह भी रोजगार और आजीविका हेतु पलायन के विकल्प की ओर जा रहें है।

ग्राम पंचायत के कार्य एवं योजनाओं से संबंधित विश्लेषण:

- परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में विगत ५ वर्षों से कोई भी आपदा या महामारी की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई हैं।
- परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में कमजोर वर्ग समुदायों हेतु आजीविका हेतु बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं, जिसके कारण प्रत्येक ग्राम से पलायन करने वाले परिवारों की संख्या अधिक है।
- ग्राम पंचायत अंतर्गत आजीविका की योजनाओं से ग्रामीणों एवं कमजोर वर्ग समुदायों को बहुत ही कम रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पा रहे हैं।
- ग्राम पंचायत अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को छोडकर अन्य योजनाओं में भी ग्रामीणों एवं कमजोर वर्ग समुदायों हेतु बहुत कम अवसर निर्मित हो पाए हैं।

कोविड-19 से परिवारों एवं ग्राम पंचायत पर असर संबंधित विश्लेषण:

- परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में केवल एक कोविड-**19** संक्रमण का मामला मिला है।
- ग्राम पंचायतों के स्तर पर क्वारंटाईन सेंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि लोगों के लिए अधिकतर व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा कोविड-**19** विषय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
- समुदाय में एक तिहाई लोगों/परिवारों को कोविड-**19** के बचाव के तरीको के संदर्भ में पूर्ण जानकारी नहीं है।
- ग्राम पंचायतों द्वारा पलायन संबंधित पंजी का संधारण किया गया है, साथ ही कोविड-**19** निगरानी समिति का गठन भी किया गया है।
- ग्राम पंचायतों में क्वारंटाईन सेंटर के बहुत कम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।
- लगभग आधे परिवार/समुदाय जागरूकता कार्यक्रमों में भाग नहीं लिए हैं, इसके साथ ही अधिकतर परिवारों को आरोग्य सेतु एप की जानकारी नहीं है। बहुत ही कम परिवारों द्वारा आरोग्य सेतु एप का उपयोग किया जा रहा है।

सुझाव:

- समस्त परिवारों/समुदायों को कोविड-19 से बचाव के उपाय एवं संबंधित विषयवस्तु से अवगत कराने व जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए ग्राम स्तर पर पर्याप्त तौर पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने चाहिए, ताकि समस्त परिवारों तक जानकारियाँ पहुंच सकें।

- वर्तमान विषम परिस्थितियों में विशेषकर कमजोर वर्ग/परिवारों को आजीविका हेतु रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही ऐसे परिवार जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है, उन्हें तत्काल राहत कार्यक्रमों से जोडना चाहिए।

- आजीविका हेतु रोजगार के अवसर बढाने के लिए मनरेगा और अन्य विभागों की योजनाओं के बेहतर योजना निर्माण व क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। मनरेगा से अन्य विभागों के कार्यों के अभिसरण से रोजगार के अवसर बढाए जा सकेंगें।

- आजीविका की योजनाओं एवं अन्य विभागों के कार्यों के अभिसरण से ग्राम पंचायत अंतर्गत आजीविका संबंधित परिसम्पतियों के निर्माण हेतु योजना बनाना चाहिए, इसके साथ ही साथ कमजोर वर्ग/परिवारों हेतु स्वयं के आजीविका से संबंधित परिसम्पतियों के निर्माण हेतु कार्य किया जाना चाहिए।

- ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मचारियों को कोविड-19 माहमारी के प्रबन्धन एवं व्यवस्थापन हेतु प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। अनेक स्तर एवं विषयों पर प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत की समितियों द्वारा बेहतर कार्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, इसके लिए समितियों के सशक्तिकरण किया जाना चाहिए।

- आजीविका के नए अवसरों को लोगों तक पहुचाने के लिए कमजोर वर्ग/परिवारों को अन्य शासकीय विभागों जैसे- पशुपालन, कौशल प्रशिक्षण आदि की योजनाओं के विषय में जानकारी देना और लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करवाया जाना चाहिए।

- ग्राम पंचायत अंतर्गत पलायन करने वाले परिवारों एवं कमजोर वर्ग/परिवारों की सूची बनाकर, आजीविका सशक्तिकरण की नवीन कार्य योजना बनाया जाना चाहिए, जिसे कि जल्द ही स्वीकृत करा कर आजीविका सशक्तिरण के प्रयास प्रारंभ किए जाने चाहिए।

- समन्वित कृषि हेतु कार्य किया जाना चाहिए, जिससे कि कई प्रकार के फसलों का उत्पादन संभव हो। साथ ही जिनके पास संसाधन उपलब्ध हो उन्हें रबी फसल हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

- समन्वित कृषि हेतु शासकीय योजनाओं का अभिसरण बहुत ही अहम् हो सकता है, इसके लिए शासकीय तंत्र के साथ योजना बनाया जाना चाहिए, जिसमें पलायन करने वाले परिवारों एवं कमजोर वर्ग/परिवारों को प्राथमिकता से शामिल किया जाए।